

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिलाभिण्ड

मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 584 / 2014

संस्थापित दिनांक 07.07.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

वाहिद पुत्र आजाद खां उम्र—22 साल निवासी

खितौली थाना, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

::- निर्णय -::

(आज दिनांक 14 / 10 / 2014 को घोषित किया)

1. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279, 338 एवं धारा 39 / 192, 3 / 181 मोटरयान अधिनियम के अपराध के आरोप है कि दिनांक 21 / 06 / 14 को वनीपुरा रोड पुल के पास एक मोटरसाइकिल प्लेटिन इंजन नं. 42384 को लोक मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया व फरियादी गोवर्धन को टककर मारकर घोर स्वेच्छा उपहति कारित की एवं वाहन को बिना रजिस्ट्रेशन एवं डायविंग लाईसेंस के चलाया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि विचारण के दौरान फरियादी एवं आहत का आरोपी के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी रामप्रसाद ने पुलिस थाना गोहद में दिनांक 21 / 6 / 14 को उपस्थित होकर इस आशय की जुवानी रिपोर्ट की कि दिनांक 21 / 6 / 14 को अपनी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा क्रमांक एम.पी.07एम.एल.6453 से अपने फूपा गोवर्धन निवासी पावई को पीछे बिठाकर गोहद आ रहा था कि समय 12:00 बजे दिन ग्राम वनीपुरा नहर की पुलिया के पास आया। उसी समय गोहद की तरफ से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल का चालक मोटरसाइकिल को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उसकी मोटरसाइकिल में उल्टी साईड में घुसकर टककर मार दी जिससे उसके फूपा गोवर्धन के बाये पैर के घुटने के नीचे चोट होकर खून बहने लगा व दाहिनी बाह में मुदी चोट आई। चालक ग्राम खितौली का वाहिद पुत्र आजाद खां ने टककर मारी है।

4. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 217/14 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया आहत का मेडीकल कराया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 279, 338 एवं धारा मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 3/181 के आरोपो की विवेचना की गई आरोपी ने उक्त आरोपो को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा।

6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपी से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को भा0द0वि0 की धारा, 338 में दोषमुक्त किया जाकर आरोपी को भा.द.वि.की धारा 279 एवं धारा 39/192, 3/181 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत विचारण जारी है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने मोटरसायकिल प्लेटिन इंजन नं.42384 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन कारित किया?
2. क्या आरोपी ने मोटरसायकिल प्लेटिन इंजन नं.42384 को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया?
2. क्या आरोपी ने मोटरसायकिल प्लेटिन इंजन नं.42384 को बिना डायविंग लाईसेंस के चलाया?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने हेतु तीनों विचारणीय बिन्दुओं की विवेचना एक साथ की जा रही है। रामप्रसाद आ0सा01के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना है कि वह अपने फूपा गोवर्धन के साथ मोटरसाइकिल से गोहद आ रहा था दोपहर के समय वनीपुरा रोड पुलिस थाने के पास आया तो एक मोटरसाइकिल वाले ने सामने से टककर मार दी जिससे उसके फूपा गोवर्धन के बाये पैर के घुटने में चोट आई थी मोटरसाइकिल पर कोई नम्बर नहीं था इसलिये उसे नहीं पता कि कौन सी मोटरसाइकिल थी और उसे कौन चला रहा था कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल के चालक का नाम बताया था इसलिये उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी जो प्र0पी01 की है पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है साक्षी के द्वारा वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष द्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये फिर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाकर दुर्घटना कारित की है। साक्षी के कथनों से वाहन के तेज व

लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।

9. गोवर्धन आ0सा02 यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है तथा दुर्घटना में आहत हुआ है इस साक्षी का कहना है कि करीब 02 माह पहले वनीपुरा रोड पुलिया की नहर के पास एक मोटरसाइकिल ने उसकी मोटरसाइकिल में टककर मार दी जिससे उसके दाहिने पैर में चोट आई थी मोटरसाइकिल टककर मारकर भाग गया था। मोटरसाइकिल कौन चला रहा था कैसे चला रहा था उसे जानकारी नहीं है क्योंकि उसने आरोपी की शकल नहीं देखी थी। साक्षी के द्वारा तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन न चलाये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की थी।

10. प्रकरण में फरियादी व आहत से आरोपी के मध्य हुये आपसी राजीनामा से यह विदित होता है कि फरियादी व साक्षी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये हैं जिससे घटित घटना प्रमाणित नहीं होती है। प्रकरण में अन्य कोई साक्षी नहीं है।

11. प्रकरण में अभियोजन को अपने मामले को प्रमाणित करने का भार था लेकिन प्रकरण में फरियादी रामप्रसाद ,व आहत साक्षी गोवर्धन घटना के चक्षुदर्शी के द्वारा आरोपी को पहचानने से इंकार करते हुये इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपी ने वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित की हो। प्रकरण में उक्त साक्षी घटना के अति महत्वपूर्ण साक्षी है जिनके द्वारा ही घटना को प्रमाणित नहीं किया गया है।

12. प्रकरण में रामप्रसाद आ0सा01,गोवर्धन आ0सा02 दुर्घटना में घायल होकर दुर्घटनाके अति महत्वपूर्ण साक्षी है जिन्होंने वाहन चालक की पुष्टि नहीं की है तथा वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाये जाने की घटना की समर्थन नहीं किया है ऐसी स्थिति में इस तथ्य का समर्थन नहीं होता है कि आरोपी वाहिद ने वाहन को तेज व लापरवाही पूर्वक चला कर दुर्घटना कारित की थी। साक्षियों के कथनों से घटित अपराध व प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन नहीं होता है।

13. प्रकरण में साक्षियों ने आरोपी वाहिद को पहचानने से इंकार किया है इसलिये मोटरयान अधिनियम की धारा [3/181](#),के प्रावधान आरोपी पर आकृषित नहीं होते हैं प्रकरण में जहां तक मोटरयान अधिनियम की धारा [39/192](#) का प्रश्न है इसके संबंध में आर0टी0ओ0कार्यालय में कार्यवाही की गई है लेकिन आर0टी0ओ0कार्यालय

से रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इस संबंध में भी आरोपी को दोषी नहीं कहा जा सकता है।

14. प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 279 एवं धारा 39/192, 3/181 मोटरयान के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपी को भा.द.वि.की धारा 279 एवं धारा 39/192 3/181 मोटरयान अधिनियम के आरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किया जाता है।

15. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसायकिल प्लेटिन इंजन नं.42384 पूर्व से पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी में है अतः सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात स्वमेव निरस्त माना जावे।

16. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

17. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद